बरेली पुलिस

दिनांकः- 01.09.2022

बरेली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी राजवीर उर्फ राजीव को माननीय न्यायालय द्वारा 25 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आज दिनांक 01.09.2022 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष सं0-1, बरेली द्वारा थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-331/18 धारा 376,506 IPC व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की सुनवाई के उपरान्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजवीर उर्फ राजीव उर्फ पण्डित पुत्र रामसेवक नि0 विरिया टांडा थाना दातागंज जनपद बदायूँ को 25 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2018 को अभियुक्त राजवीर उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ गन्ने के खेत में दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-331/18 धारा 376,506 IPC व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।